

## पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

मांग संख्या 29

## पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	9992.88	4.82	9997.70	14000.00	5.24	14005.24	13000.00	5.26	13005.26	15260.00	5.70	15265.70	
पूँजी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
जोड़	<b>9992.88</b>	<b>4.82</b>	<b>9997.70</b>	<b>14000.00</b>	<b>5.24</b>	<b>14005.24</b>	<b>13000.00</b>	<b>5.26</b>	<b>13005.26</b>	<b>15260.00</b>	<b>5.70</b>	<b>15265.70</b>	
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	4.82	4.82	...	5.24	5.24	...	5.26	5.26	...	5.70	5.70
<b>ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई</b>													
2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम													
2.01 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम													
2.01.01 कार्यक्रम घटक	2215	8493.15	...	8493.15	9450.00	...	9450.00	9450.00	...	9450.00	9850.00	...	9850.00
2.01.02 ईएपी घटक	2215	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम		<i>8493.15</i>	...	<i>8493.15</i>	<i>9450.00</i>	...	<i>9450.00</i>	<i>9450.00</i>	...	<i>9450.00</i>	<i>9900.00</i>	...	<i>9900.00</i>
2.02 द्वैध पंप पाइप जलापूर्ति योजना आधारित सौर-ऊर्जा की स्थापना													
2.02.01 द्वैध पंप पाइप जलापूर्ति योजना आधारित सौर-ऊर्जा की स्थापना के लिए व्यय	2215	...	...	...	...	...	...	110.65	...	110.65	...	...	...
2.02.02 राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरा किया गया	2215	...	...	...	...	...	...	-110.65	...	-110.65	...	...	...
कुल		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम		<i>8493.15</i>	...	<i>8493.15</i>	<i>9450.00</i>	...	<i>9450.00</i>	<i>9450.00</i>	...	<i>9450.00</i>	<i>9900.00</i>	...	<i>9900.00</i>
3. निर्मल भारत अभियान तथा एनजीपी (जिसे पहले पूर्ण स्वच्छता अभियान के रूप में जाना जाता था )	2215	1499.73	...	1499.73	3150.00	...	3150.00	2250.00	...	2250.00	3834.00	...	3834.00
<b>जोड़-ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई</b>		<b>9992.88</b>	...	<b>9992.88</b>	<b>12600.00</b>	...	<b>12600.00</b>	<b>11700.00</b>	...	<b>11700.00</b>	<b>13734.00</b>	...	<b>13734.00</b>
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान													
4.01 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	2552	...	...	...	1050.00	...	1050.00	1050.00	...	1050.00	1100.00	...	1100.00
4.02 निर्मल भारत अभियान तथा एनजीपी	2552	...	...	...	350.00	...	350.00	250.00	...	250.00	426.00	...	426.00
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने		...	...	...	<i>1400.00</i>	...	<i>1400.00</i>	<i>1300.00</i>	...	<i>1300.00</i>	<i>1526.00</i>	...	<i>1526.00</i>

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
वाली परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान													
<b>कुल जोड़</b>	<b>9992.88</b>	<b>4.82</b>	<b>9997.70</b>	<b>14000.00</b>	<b>5.24</b>	<b>14005.24</b>	<b>13000.00</b>	<b>5.26</b>	<b>13005.26</b>	<b>15260.00</b>	<b>5.70</b>	<b>15265.70</b>	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	
<b>ग. योजना परिव्यय</b>													
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	1400.00	...	1400.00	1300.00	...	1300.00	1526.00	...	1526.00	
2. जलापूर्ति एवं स्वच्छता	22215	9992.88	...	9992.88	12600.00	...	12600.00	11700.00	...	11700.00	13734.00	...	13734.00
<b>जोड़</b>	<b>9992.88</b>	<b>...</b>	<b>9992.88</b>	<b>14000.00</b>	<b>...</b>	<b>14000.00</b>	<b>13000.00</b>	<b>...</b>	<b>13000.00</b>	<b>15260.00</b>	<b>...</b>	<b>15260.00</b>	

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** यह प्रावधान पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम:** राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है एवं सभी ग्रामीण क्षेत्रों, परिवारों तथा व्यक्तियों को हैंड-पम्पों, पाइपों द्वारा जलापूर्ति के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति का प्रावधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह भारत निर्माण का एक घटक है। एनआरडीडब्ल्यूपी में एआरडब्ल्यूएसपी, स्वजल धारा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इस केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी ग्रामीण आवासों को शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिसमें शामिल है - स्वच्छ पेयजल प्रावधान के साथ गुणवत्ता प्रभावित आवास; पेयजल के स्रोतों एवं प्रणालियों के लिए निरंतरता सम्बंधी उपाय; मौजूदा ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का प्रचालन एवं रख-रखाव, आईईसी, प्रशिक्षण, एमआईएस तथा कम्प्यूटरीकरण आदि जैसी सहायक गतिविधियां एवं जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच।

एनआरडीडब्ल्यूपी एवं ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र के लिए 11000 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए 1100 करोड़ रु. शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति उप-योजना एवं अनुसूचित जनजाति उप-योजना के लिए व्यय को पूरा करने के लिए कुल विनिधान का क्रमशः 22% तथा 10% जो कि 2420 करोड़ रु. तथा 1100 करोड़ रु. के बराबर होगा का निर्धारण किया गया है।

3. **निर्मल भारत अभियान (एनबीए) और निर्मल ग्राम पुरस्कार:** सरकार ग्रामीण लोगों तक स्वच्छता सम्बंधी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे प्रयासों को सर्वाधिक महत्व प्रदान करना जारी रख रही है। निर्मल भारत अभियान (जो कि पूर्व में समग्र स्वच्छता अभियान के रूप में जाना जाता था) परियोजनाओं को सम्पूर्ण ग्रामीण भारत

में शुरू किया गया है, जिनमें 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 607 जिलों को शामिल किया गया है। निर्मल भारत अभियान के लिये 4260 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है जिसमें 2013-14 के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिये 426 करोड़ रु. शामिल है।

4. **पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाएं/स्कीमों हेतु प्रावधान:** पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं एवं स्कीमों के लिए स्कीम-वार प्रावधान किया गया है।